मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 /05/2022

क्रमांक: /354/2022/अ-तेहत्तर : राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि:-

मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 के अनुक्रम में "फर्नीचर, टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंख्ला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता" संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(पी. नरहरि)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक /354/2022/अ-73 भोपाल दिनांक 18 /05/2022

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

2 उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3 आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।

4 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

5 नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

परिशिष्ट

फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता

1. प्रस्तावना- उत्पाद आधारित क्लस्टर्स को प्रदेश के समावेशी विकास, लोगों के लिये रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये इसे राज्य के औद्योगीकरण हेतु मुख्य रणनीति के रूप में विकसित करना है।

2. उद्देश्य -

- प्रदेश के युवाओं के लिये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला एवं अधोसंरचना की स्थापना करना।
- राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित करना।
- राज्य में गुणवत्ता पूर्ण एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- राज्य में सेवा क्षेत्र यथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग इत्यादि का विकास।
- कोरोना महामारी से आर्थिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को संबल प्रदान करना।

3. प्रभावशीलता -मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर एवं टॉयस्एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता एवं इस हेतु निहित प्रकिया, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 हेतु जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना,2021 के अनुसार होगी। इन विशिष्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने

वाली इकाईयों को मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 अंतर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मे कार्य की व्यवहारिकता के दृष्टिगत रखते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषयांकित विशिष्ट वित्तीय सुविधाओं का लाभ इस आशय का आदेश जारी होने के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को प्राप्त होगा।

4. विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत/सुविधाओं का विवरण -फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की पात्र विनिर्माण इकाईयों को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा:-

4.1 उद्योग विकास अनुदान- स्थिर संपत्तियों जैसे प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भवन पर अधिकतम 40% देय होगी। शेष नियम एवं प्रक्रिया मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 अनुसार होगी।

4.2 ब्याज अनुदान - परियोजना हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्म लोन पर 02 प्रतिशत की दर से 05 वर्षों के लिये ब्याज अनुदान अधिकतम सीमा रू. 100 लाख प्रतिवर्ष।

4.3 विद्युत शुल्क में छूट - सभी पात्र नवीन इकाईयों को उच्च दाब विद्युत संयोजन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 100% विद्युत शुल्क से छूट।

4.4 विद्युत टैरिफ में सहायता- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु रू. 1 प्रतियूनिट की सहायता। उक्त सहायता मध्यप्रदेश विद्युत नियामक

आयोग द्वारा उसके रिटेल टैरिफ आर्डर में दी जा रही रियायत (यदि कोई हो तो) के अतिरिक्त होगी एवं विभाग द्वारा अपने बजट से वहन की जावेगी।

4.5 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति - परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि/बैंक ऋण दस्तावेजों पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर 50% प्रतिपूर्ति।

4.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर प्रोत्साहन- केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन से अधिमान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण संस्थानों से अधिकतम 4 गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर 25% लागत प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा रू. 10 लाख समस्त प्रमाणपत्रों के लिये उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात एक गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अधिकतम सहायता रू. 2.5 लाख तक सीमित होगी।

4.7 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति - मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी को स्किल गेप प्रशिक्षण हेतु इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के प्रथम 3 वर्षों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी अधिकतम रू. 10,000 अधिकतम 200 कर्मचारियों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जावेगी।

4.8 रोजगार सृजन अनुदान - नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रूपए 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी एवं अधिकतम 200 कर्मचारियों को ही दी जावेगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी। इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी

को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी। उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-

क्र.	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1.	1 वर्ष के अन्दर	50%
2.	2 वर्ष के अन्दर	75%
3.	3 वर्ष के अन्दर	90%

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी।

4.9 निर्यात सहायता - इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने पर पात्र उद्योग विकास अनुदान का 1.25 तक गणक एवं 50% से अधिक निर्यात करने पर 1.50 गणक तक लाभ प्राप्त हो सकेगा। अर्थात् 25% से अधिक एवं अधिकतम 50% तक निर्यात करने वाली इकाई को मूल उद्योग विकास अनुदानके साथ 10% अतिरिक्त तथा 50% से अधिक निर्यात करने पर मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 20% अतिरिक्त सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा। निर्यात सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की दिनांक से अधिकतम 4 वर्षों के लिये देय होगी। स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक वर्ष में निर्यात की निर्धारित सीमा से कम निर्यात करने पर उस वित्तीय वर्ष में निर्यात सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4.10 प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर किये गये व्यय/ शुल्क की प्रतिपूर्ति - प्रति प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेतु 50% अथवा

अधिकतम रू. 5 लाख यह सुविधा अधिकतम 4 डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिये उपलब्ध होगी। प्रोडक्ट डिजायन/टेक्नालॉजी ट्रांसफर भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं (NABL accredited)/संस्थानों से प्रमाणित होना चाहिए। विदेशी संस्थानों से लिये गये प्रोडक्ट डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार के दिशा-निर्देश लागू होंगे।

4.11 पेटेन्ट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति - प्रदेश में ही निर्मित उत्पाद पर इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100% अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति।

4.12 अपशिष्ट प्रबंधन/हरित पहल के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति-

4.12.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रूपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना लिये किये गये व्यय का 50% अधिकतम रू. 25 लाख की सहायता।

4.12.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रूपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50% अधिकतम रू.100 लाख की सहायता।

4.12.3 औद्योगिक एमएसएमई इकाईयों के समूह (कम से कम 10) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50% अधिकतम रू. 200 लाख की सहायता।

5. **संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां:-** फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायताओं अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय –

(i) इसे संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा।

(ii) इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा।

(iii) इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग